डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. लालहंस पुत्र नारायण
2. श्योसिंह पुत्र नारायण
   जाति गूर्जर निवासी बौल तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. लखन पुत्र नारायण
2. हरपति पत्नि स्व0 हरसहाय
3. हेमसिंह पुत्र हरसहाय
4. अजय पुत्र हरसहाय
5. सीमा पुत्री हरसहाय
6. पिकी पुत्री हरसहाय
   समस्त जाति गूर्जर निवासी बौल तहसील टोडाभीम।
7. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
8. सब रजिस्ट्रार तहसील टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा — मु0न0. 52/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट व हाजरी श्री .... मिनकानिब गुदई रूबरू.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः प्रतिवादी न0 1 लखन पुत्र नारायण जाति गूर्जर निवासी बौल को ग्राम बौल की आराजी ख0न0 3152/0.17, 3166/0.12, 3293/0.02, 3294/0.07, 3295/0.05 है0 कुल किता 5 कुल रकवा 0.43 है0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राजात मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रहेगे,

निज....................मुबलिंग..........................बाबत........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.......... .....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10.12.2019 को जारी की गई।

दस्तखत....उपजिला कलक्टर

ओहदा........टोडाभीम (करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 52/19 तारीख रजू:– 13.6.19

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. लालहंस पुत्र नारायण
2. श्योसिंह पुत्र नारायण

जाति गूर्जर निवासी बौल तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. लखन पुत्र नारायण
2. हरपति पत्नि स्व0 हरसहाय
3. हेमसिंह पुत्र हरसहाय
4. अजय पुत्र हरसहाय
5. सीमा पुत्री हरसहाय
6. पिकी पुत्री हरसहाय

समस्त जाति गूर्जर निवासी बौल तहसील टोडाभीम।

7. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
8. सब रजिस्ट्रार तहसील टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट (प्रतिदावा प्रतिवादी न0 1 ता 6)

निर्णय दिनांक:– 10.11.19

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बौल स्थित भूमि ख0न0 3151/0.35, 3152/0.17, 3153/0.17, 3154/0.11, 3155/0.14, 3161/0.07, 3166/0.12, 3169/0.14, 3290/0.10, 3291/0.18, 3293/0.02, 3294/0.07, 3295/0.05, 3296/0.03 कुल किता 14 कुल रकवा 1.72 है0 मे वादी न0 1 हिस्सा 1/4 वादी न0 2 हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी न0 1 हिस्सा 1/4, तथा प्रतिवादी न0 2 ता 6 हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के अनुसार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर भूमि का बहामी

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

बटवारा कर रखा है परन्तु विधिवत बटवारा अभी नही हुआ है। प्रतिवादी लखन अविवाहित है जिसके कोई वारिस नही है प्रतिवादी लखन अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादी न0 2 ता 6 को विधि विरूद्व तरीके से देना चाहता है। तथा प्रतिवादीगण 1 ता 6 खातेदारी का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण के कब्जकाश्त की भूमि को लट्ठ के बल पर लेना चाहते है। बाका दिनांक 11.6.19 का है कि वादीगण अपने परिवारजनो के साथ अपने हिस्से व कब्जे की भूमि पर आगामी फसल के लिए सूल बबूल साफ कर रहे थे कि प्रतिवादीगण 1 ता 6 हाथो मे लाठी डण्डा लेकर आये और वादीगण से कहा कि तुम्हारे कब्जे वाली भूमि को लट्ठ के बल पर लेगे। वादीगण ने उनको काफी समझाया किन्तु वे नही माने। इस कारण से दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत तकास्मा प्राथमिक डिक्री किया जाकर बटवारा कमीश्नर नियुक्त कर बटवारा स्कीम तलब की जावे। बाद प्राप्त बटवारा रिपोर्ट फाईनल डिक्री प्रदान की जावे, तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि आराजीयात ख0न0 3151/0.35, 3152/0.17, 3153/0.17, 3154/0.11, 3155/0.14, 3161/0.07, 3166/0.12, 3169/0.14, 3290/0.10, 3291/0.18, 3293/0.02, 3294/0.07, 3295/0.05, 3296/0.03 कुल किता 14 कुल रकवा 1.72 है0 को रहन व्यय नही करे एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 7 व 8 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी न0 1 ता 6 जरिए वकालतन उपस्थित हुए जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। वादी का यह कथन गलत है कि लखन उक्त आराजी मेसे अपने हिस्से की भूमि को विधि विरूद्व देना चाहता है। वादीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर दावा पेश किया है वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे। काउन्टर क्लेम इस प्रकार पेश किया है कि वादीगण न0 1 व 2 तथा प्रतिवादी न0 1 व 2 लगायत 6 हिस्सा 1/4–1/4 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है बहामी बटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी न0 1 प्रतिवादी न0 2 ता 6 से प्रेमभाव रखता है अपने हिस्से की आराजी पर काश्त हेतु उनका सहयोग लेता है हारी बीमारी मे वे लोग मेरी देखभाल करते है। इसी बात से वादीगण द्वेष भावना रखते है। प्रतिवादी न0 1 अविवाहित है इसलिए वादीगण 1 व 2 उसके हिस्से की भूमि को हडपना चाहते है। प्रतिवादीगण भी अपने हिस्से की भूमि का अलग खाता कायम कराना चाहते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हाल जमाबन्दी मे

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

दर्ज हिस्सानुसार दावा प्राथमिक डिक्री कर बटवारा स्कीम अच्छे मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी के आधार पर मगवाई जाकर दावा फाईनल डिक्री फरमाया जावे।

वादी वकील ने काउन्टर क्लेम का जबाब पेश करने हेतु समय चाहा। किन्तु दिनांक 31.7.19 को वादी वकील ने दावा नोट प्रेस कर कार्यवाही नही चाहने का कथन किया। प्रतिवादी वकील ने कथन किया कि प्रतिवादीगण की और से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है प्रतिवादीगण का प्रतिदावा स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री कर बटवारा स्कीम तलब की जावे। दौराने बहस ही प्रतिवादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि हरसहाय के अभी फौत होने के कारण नामांतकरण नही खुला है इसलिए हेमसिंह वगै0 प्रतिवादी न0 2 ता 6 की हद तक रिलीफ नही चाह कर प्रतिवादी न0 1 लखन की हद तक ही काउन्टर क्लेम स्वीकार कर बटवारा फरमा दिया जावे।

प्रतिदावा वकील की बहस सुनकर प्रतिवादी न0 1 का अलग खाता कायम कराना उचित पाते हुये प्रतिदावा प्रतिवादी न0 1 प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त कर बटवारा स्कीम तलब की गई। बटवारा स्कीम का प्रतिदावा वकील ने अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम प्रतिवादी न0 1 का अलग खाता कायम कराने हेतु प्रतिदावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली एवं बटवारा स्कीम का अवलोकन करने पर प्रतिदावा प्रतिवादी न0 1 डिक्री किये जाने योग्य होने से डिक्री किया जाता है।

अतः प्रतिवादी न0 1 लखन पुत्र नारायण जाति गूर्जर निवासी बौल को ग्राम बौल की आराजी ख0न0 3152/0.17, 3166/0.12, 3293/0.02, 3294/0.07, 3295/0.05 है0 कुल किता 5 कुल रकवा 0.43 है0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राजात मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रहेगे, पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

10/12/19
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम जिला करौली

तहसील
टोडाभीम

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2019.12.30 11:21:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: